राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018—II जयपुर, दिनांकः 06.05.2019

गेहूँ आवंटन आदेश माह मई, 2019
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–8/2013–बी.पी.–III दिनांक 26.09.2013 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्डधारियों को 1/– रू. प्रति किग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2/– रू. प्रति किग्रा. की दर से पात्रतानुसार माह मई, 2019 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूँ) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। माह मई, 2019 के पेटे गेहूँ का मासिक आवंटन 02 श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में मई माह हेतु उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्डधारियों को 1/– रू. प्रति किग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2/– रू. प्रति किग्रा. की दर से पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेंट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूँ आवंटन किया गया है।

गेहूँ आवंटन की श्रेणियाँ (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	1/–रू.
द्वितीय	PHH (Others)	2/–रू.

2. खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत **"अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी"** के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.04.2019 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह मई, 2019 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3. खाद्य मुख्यालय से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूँ के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूँ के उठाव का रिलीज ऑर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूँ के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति की होगी।

4. खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूँ के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियाँ संधारित की जाएगी।

5. उचित मूल्य दुकानों को गेहूँ की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों **(प्रथम श्रेणी– अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी– PHH अन्य श्रेणी)** के कार्डो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

6. उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) "सेन्ड–टू–पोस" हो जायेगी।

7. जिलेवार खाद्यान्न (गेहूँ) का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

8. योजना अन्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूँ के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जाँच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार 1/–रू. किग्रा. की दर से गेहूँ प्राप्त होने की पुष्टि हो सके।

9. नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूँ का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेंस स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं पीएचएच अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10. गेहूँ वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11. सप्लाई चैन मैनेजमेंट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशन कार्डों की संख्या के आधार पर गेहूँ का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूँ का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूँ के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर–
   (अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर (रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाएँ।
   (ब) गेहूँ का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी **(अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल)** एवं द्वितीय श्रेणी **(PHH अन्य श्रेणी)** श्रेणी में गेहूँ के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक–पृथक संधारित किया जाएगा।

12. **सप्लाई चैन मेनेजमेन्ट व्यवस्था नवीन लागू की गई है। अतः प्रारम्भिक 7 माह (सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019) में दुकानों को पूर्ण आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर माह मई, 2019 का खाद्यान्न (गेहूँ) आवंटन उचित मूल्य दुकानवार 01.09.2018 से**

28.02.2019 तक की समयावधि में खाद्यान्न (गेहूँ) के उपलब्ध स्टॉक की मात्रा के आधार पर किया गया है।

13. माह मई, 2019 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव /वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।

इस विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह मई, 2019 तक का **उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।**

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी ।

<u>संलग्नः— उपरोक्तानुसार</u>

(रश्मि गुप्ता)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018—II जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह मई, 2019 हेतु आवंटित गेंहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित् करावें। **गेहूं उठाव के संबंध में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-2/2018-BP.III दिनांक 20.02.2019 द्वारा स्पष्ट है कि की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात गेहूं उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नही किया जायेगा।**
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु जिलेवार आवंटन माह मई, 2019

क्र.सं.	नाम जिला	1 Rs per K.G.			2 Rs per K.G	Total Final Allotment (K.G.)	Recoverable Opening Stock As On 01.03.19 (K.G.) *	Final Allotment (MT)
		Final NFSA AAY Allotment (K.G.)	Final NFSA BPL Allotment (K.G.)	Final NFSA SBPL Allotment (K.G.)	Final NFSA PHH (Others) Allotment (K.G.)			
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=7-8/1000
1	अजमेर	645890	1145010	465680	5997850	8254430	1281554	6972.876
2	अलवर	720930	1729160	600525	9828905	12879520	2577221	10302.299
3	बांसवाडा	1566600	2943980	900530	3181960	8593070	755680	7837.390
4	बांरा	1599010	1018865	232335	2580325	5430535	690790	4739.745
5	बाडमेर	829850	2977265	468175	5435145	9710435	1277883	8432.552
6	भरतपुर	532385	1671530	400645	5572425	8176985	888240	7288.745
7	भीलवाडा	882910	1990580	664145	4416705	7954340	907152	7047.188
8	बीकानेर	412965	2393045	528105	3236140	6570255	656905	5913.350
9	बूंदी	449925	850255	253815	2136525	3690520	160309	3530.211
10	चित्तौडगढ़	999950	1125055	708705	2373410	5207120	775509	4431.611
11	चूरू	804825	2178635	461960	3543525	6988945	1020571	5968.374
12	दौसा	363545	1311490	198190	4097095	5970320	1514839	4455.481
13	धौलपुर	318465	909840	192795	3076180	4497280	740276	3757.004
14	डूंगरपुर	1107960	3041535	417420	2360745	6927660	655213	6272.447
15	श्रीगंगानगर	412055	1570495	181700	3692905	5857155	627278	5229.877
16	हनुमानगढ	492030	1209435	214885	3376825	5293175	350985	4942.190
17	जयपुर	469280	1943155	620030	12022215	15054680	2334099	12720.581
18	जैसलमेर	222145	591630	152805	1179850	2146430	363158	1783.272
19	जालौर	774340	1803770	389880	3141345	6109335	616250	5493.085
20	झालावाड	560315	1350145	348210	3465385	5724055	740306	4983.749
21	झुंझुनू	322560	634485	244020	4612430	5813495	1078494	4735.001
22	जोधपुर	299460	2140875	242435	7331815	10014585	2351395	7663.190
23	करौली	578130	1785420	334025	2267065	4964640	304773	4659.867
24	कोटा	342860	1346245	208800	3051265	4949170	530228	4418.942
25	नागौर	596470	1656685	451765	9405765	12110685	2621757	9488.928
26	पाली	675920	1603970	416240	4184110	6880240	1520131	5360.109
27	प्रतापगढ़	494480	1354220	332110	1718245	3899055	537254	3361.801
28	राजसमंद	670145	1181715	316625	2303345	4471830	577286	3894.544
29	सवाईमाधोपुर	536095	1007915	367695	2438555	4350260	537967	3812.293
30	सीकर	305830	962365	213925	7431515	8913635	1339065	7574.570
31	सिरोही	367255	755325	239510	2666560	4028650	858769	3169.881
32	टोंक	594160	1066440	451520	3113980	5226100	1023508	4202.592
33	उदयपुर	1856960	4661885	990730	5307780	12817355	874593	11942.762
	योग	21805700	53912420	13209935	140547890	229475945	33089438	196386.507

*Note:- Surplus Opening Stock that get Surrendred hence annual reconciliation

(रश्मि गुप्ता)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त